

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि.-/16:617

23 Aug 2018

विषय: IS 617:1994 की संशोधन संख्या 2, जुलाई 2018 का अनुपालन (Aluminium And Aluminium Alloy Ingots And Castings For General Engineering Purposes)

1 आई एस 617:1994 के संशोधन सं 2 को प्रकाशित किया गया है। गजेट नोटिफिकेशन सं S.O. 3722 (E) 26 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।

2 सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी लाइसेन्स धारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे में सूचित करें।

(आदित्य दास)

वैज्ञानिक सी (कें.मु.वि.-2)

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/एम टी डी/एलपिपिडी को intranet माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि:

ITS - इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT -2

Our Ref: CMD-2/16:617

23-Aug-2018

Subject: Implementation of amendment no. 2, July 2018 to IS 617:1994 (Aluminium And Aluminium Alloy Ingots And Castings For General Engineering Purposes)

1. Amendment no. 2 to IS 617:1994 has been published. As per Gazette Notification No S.O. 3722 (E) dated 26 July 2018 it has been decided to implement the same with immediate effect.
2. All BOs are requested to inform the licensees/applicants in their jurisdiction about the above amendment.

Aditya Das
Sc. C

HCMD-2

Circulated to ROs/BOs/MTD/LPPD through intranet

Copy to: ITSD- for hosting in intranet